	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.1.16	पत्रावली पेश। वकील पक्षा० उप० हैं। प्रतीक्षानुसार दिनांक 15/2/17 को पेश हो।	
.17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हैं। तलबाने बाद या अदम तामील अदालत/इश्तहार नोटिस पत्रावली दिनांक 5/4/17 को पेश हो।	
5/4/17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हैं। वादी तलबी कुन तलबाने पेश होने पर जारी हो। वादी तलबी 2-5/5/17 को पेश हो।	
12/6/17	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार—2017" कैम्प स्थल.....पीपावेड़ी......... दिनांक....12/6/2017....... पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत पर पेश। प्रतिवादी नं० 1 उपस्थित है। प्रतिवादी क्रम 1 का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है, तथा उसके दो पुत्र दिनेश कुमार व कन्हैयालाल थे। कन्हैयालाल की मृत्यु हो चुकी है, वारिसा उसकी बहू है, तथा वादी नं० 2 उसका पोता है। मुझे पोते को भूमि देने पर आपत्ति नहीं है। हमने प्रकरण का भली भाँति अध्ययन किया। भूमि के पुश्तैनी होने की स्वीकारोक्ति है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने दो पुत्र होने की स्वीकारोक्ति होने के साथ ही उक्त तथ्य राशन कार्ड से भी	रामचरण

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रकट होता है कि प्रत्येक भूमि पर प्रतिवादी नं० २ व ३ के नाम किस प्रकार दर्ज किये गये यह तय नहीं किया जा सकता और न ही प्रति० क्रम २ व ३ आ.का.प्र. उपस्थित है क्योंकि पक्षकार S.T. वर्ग के है, जिन पर H.S. Act 1956 की धारा २(२) प्रभावी है। अतएव S.T. संवर्ग में पुरुष उत्तराधिकारी की मौजूदगी में महिला उत्तराधिकारी को विरासतन स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता और न ही Right by birth ही प्राप्त है। ऐसी सूरत में सहमति की हद तक वाद वादिया अंशतः स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम पीपाखेड़ी की भूमि सम्वत जमाबंदी 2071-74 खाता नं० 19 किता 10 रकबा 3.55 हेक्टर पर वादी नं० २ को प्रतिवादी नं० १ के साथ प्रतिवादी नं० १ के हिस्से पर 1/3 का सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं० १ के बकाया भूमि के स्वत्व पर इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी नं० 2 व 3 के नाम यदि विधि विरुद्ध दर्ज कर दिये गये हो तो वे उन्हें हटवाने के लिये पृथक से वाद दायर करने हेतु भी स्वतंत्र होंगे। अतः प्रति० नं० 1 के हिस्से पर वादी नं० 2 का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दि० 12/6/17 को राजस्व लोक अदालत में सुनाया। चिन्मयी गोपाल उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	